रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1987/वैशाख 24, 1909
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1987/VAISAKHA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त का कार्यालय

(औषधि उद्योग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1987

आदेश

का. आ. 466 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा (3) के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 104.00 रुपये प्रति किलोग्राम को उस अधिकतम विक्रय कीमत के

रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश विनिर्मित पैरासीटामॉल का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8 (41)/86-पी. आई. (II)]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव
और विकास आयुक्त (औषधि उद्योग)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner

(Pharmaceutical Industry)

New Delhi, the 14th May, 1987

ORDER

S.O. 466 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph (3) of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 104.00 per Kilogram as the maximum sale price at which Paracetamol manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8 (41) |86-PI (II)]

R. S. MATHUR, Jt. Secy.

and Development Commissioner (Pharmaceutical Industry).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987